रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 404] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 1987/ श्रावण 16, 1909
No. 404] NEW DELHI, FRIDAY, AUG. 7, 1987/SRAVANA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

औद्योगिक मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 690 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम. अरुणाचलम् को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य के रूप में 7 अगस्त, 1987 को और से प्रारम्भ होने वाली और 5 अक्तूबर, 1987 को समाप्त होने वाली दो मास की अवधि के

लिए नियुक्त करती है और आगे उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम. अरुणाचलम् को पूर्वोक्त अवधि के लिए उक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त करती है।

[सं. 6(5)/86-के वी आई(1)]

जी. वेंकटरमणन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 7th August, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 690(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with Rules 3 and 4 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, the Central Government hereby appoints Shri M. Arunachalam, as a Member of the Khadi and Village Industries Commission, established under sub-section (1) of section 4 of the said Act for a period of two months commencing on and from seventh day of August, 1987 and ending on the fifth day of October, 1987 and further, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, also appoints Shri M. Arunachalam as Chairman of the said Commission for the aforesaid period.

[No. 6(5)|86-KVI(I)]
G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987